न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 51/2020/दावा 136 एलआरएक्ट

1 मेवाश कंवर पत्नि प्रभूसिह जाति राजपुत निवासीनी जवाहरनगर (भारीजा) तह0 दांतारामगढ जिला सीकर। –वादीया

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। –प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील वादीया की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक – 14.09.2020

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 24, 25, 26 किता 3 कुल रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम जवाहर नगर पटवार हल्का भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जो वादिया की एकल कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है जिसमें वादिया के हक हिस्से की खातेदारी निवास कंवर पत्नि प्रभूसिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड में है। वादिया के नाम से ग्राम जवाहर नगर तन भारीजा की भूमियों में उसका नाम निवास कंवर पत्नि प्रभूसिंह दर्ज है। जबकि वादिया का सही व वास्तविक नाम मेवाश कंवर पत्नि प्रभूसिंह है वादिया को दोनों ही नाम यथा मेवाश कंवर व निवास कंवर के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है। वादिया के अन्य दंस्तावेज यथा– आधार कार्ड बैंक रिकार्ड परिवार राशन कार्ड एव अन्य समस्त रिकार्ड में मेवाश कवर ही दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम निवास कंवर गलत दर्ज है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है व वादिया को यह रिकार्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वादिया कई बार–बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों से अपने नाम को संशोधन कर सही करवाने हेतु निवेदन कर चुकी है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। सम्बंधित समस्त दस्तावेज संलग्न वाद–पत्र है एवं मुताबिक अन्य रिकार्ड वादिया के नाम को दुरूस्त कर सही रूप से मेवाश कंवर पत्नि प्रभूसिंह दर्ज किया जाना न्याय संगत है। वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों की लापरवाही एवं भूलवंश दर्ज किया गया है जिसकी वजह से वादिया को बहुत परेशानियां आ रही है अगर उक्त रिकार्ड दुरूस्ती नहीं की गई तो इस कदर वादिया को अपार क्षति होगी व किसी भी प्रकार की वह उक्त अपनी भूमियों के बतौर कोई राजकीय सहायता एवं अनुदान आदि भी नहीं प्राप्त कर पा रही है। वाद कारण अरसा करीब दस रोज पूर्व प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारियों व अधिकारीयों द्वारा वादिया का नाम दुरूस्त करने से स्पष्ट इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण-प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः दावा बाबत दुरुस्ती व उदघोषणा राजस्व रिकार्ड पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

स्वीकार कर वादीया को कृषि भूमि खसरा नम्बर 24, 25, 26 किता 3 कुल रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम जवाहर नगर पटवार हल्का भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में वादिया का नाम निवास कंवर पत्नि प्रभूसिंह को दुरूस्त कर उसके स्थान पर मेवाश कंवर पत्नि प्रभूसिंह संशोधित कर रिकार्ड दुरूस्ती की जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादीया का नाम निवास कंवर पत्नि प्रभूसिंह को दुरूस्त कर उसके स्थान पर मेवाश कंवर पत्नि प्रभूसिंह संशोधित कर रिकार्ड दुरूस्ती की जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि विकय पत्र दिनांक 12.05.2008 के नाम श्रीमति निवास कंवर धर्मपत्नि प्रभूसिंह जाति राजपुत सा0 देह दर्ज है। आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज यथा आधार कार्ड बैंक पास बुक पहचान पत्र भामाशाह कार्ड राशन कार्ड में आवेदक का नाम मेंवाश कंवर पत्नि प्रभूसिह दर्ज है। मौके पर उपस्थित मौत विरानों से पुछताछ में बताया गया कि मेवाश कंवर पत्नि प्रभूसिंह व निवास कंवर पत्नि प्रभूसिंह एक ही औरत है। अतः वादिया का नाम निवास कंवर पत्नि प्रभूसिह के स्थान पर मेवास कंवर पत्नि प्रभूसिंह किया जाना उचित है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादीया का दावा स्वीकार योग्य है। **वादीया का दावा बाबत उद्घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जवाहर नगर पटवार हल्का भारीजा तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 24, 25, 26 किता 3 कुल रकबा 1.06 है0 में खातेदार वादीया का नाम निवास कंवर पत्नि प्रभूसिंह को दुरूस्त कर उसके स्थान पर मेवाश कंवर पत्नि प्रभूसिंह संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। डिक्री जारी हो।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

मेंवाश कंवर बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक. 14.09.2020

मुकदमा नं0 51/दावा सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा ग्राम **जवाहर नगर पटवार हल्का भारीजा तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 24, 25, 26 किता 3 कुल रकबा 1.06 है0** में खातेदार वादीया वादीया का नाम निवास कंवर पत्नि प्रभूसिंह को दुरूस्त कर उसके स्थान पर मेवाश कंवर पत्नि प्रभूसिंह संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.09.2020 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	0	00
मुतफरिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ